

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अशोकनगर म0प्र0

क्र/ई-निविदा/2022-23/14389

अशोकनगर, दिनांक 19/10/2023

// संक्षिप्त विज्ञप्ति //

// ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना वर्ष 2023-24 //

जिले अशोकनगर में जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अंतर्गत निविदा फार्म में उल्लेखित शर्तों के आधार पर अशोकनगर शहर के स्थानीय होटल संचालकों से ई-निविदायें निविदा में उल्लेखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती। योग्य निविदाकारों में से सर्वाधिक उपयुक्त सेवा प्रदाता का चयन करने हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से द्वितीय ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र (Tender Document) ऑनलाईन अधिकृत वेबसाईट mptenders.gov.in पर डाउनलोड कर देखे एवं निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय की जा सकेगी। साथ ही प्रोसेसिंग शुल्क देय होगी।

निविदा संबंधी शर्तें एवं समस्त निविदा संबंधी विवरण, निविदा प्रकाशन अथवा ऑनलाईन अपलोड दिनांक से ई-टेण्डर वेबसाईट mptenders.gov.in पर डाउनलोड कर देखा जा सकेगा एवं ऑनलाईन टेंडर शुल्क जमा कर निविदा क्रय की जावेगी। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।

द्वितीय ऑनलाईन निविदा विवरण निम्नानुसार है:-

S.N	Tender Discription	Online Tender Fees	Publishing Date	Download date/sale start date	Submission on start date	Submission on End date	Bid Opening Date
1	Venue for training (Hotel Room and Food Packet)	1000.00+ Processing Fee	20.10.2023 At 17:30 Hrs	20.10.2023 At 17:30 Hrs	20.10.2023 At 17:30 Hrs	03.11.2023 At 17:30 Hrs	06.11.2023 At 14:30 Hrs

नोट:-

01-निविदा से संबंधित समस्त शर्तें एवं नियम वेबसाईट <https://mptenders.gov.in/> पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं।

**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-अशोकनगर(म0प्र0)**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अशोकनगर (म0प्र0)

निविदा फार्म मे उल्लेखित शर्तों के आधार पर अशोकनगर शहर के स्थानीय होटल संचालकों से ई निविदायें निम्नानुसार शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है :-

// निविदा प्रक्रिया विवरण //
// द्वितीय आमंत्रण //

NIT Detail			
Work Name	Venue for training (Hotel Room and Food Packet)		
Tender cost +Processing Fee	Rs 1000/-	EMD (On Line paid)	Rs 10,000/-
Publish Date	20-10.2023 At 17:30 PM	Bid Opening Date	06-11-2023 At 14:30 PM
Document Download / Sale Start Date	20-10.2023 At 17:30 PM	Document Download / Sale End Date	03-11-2023 At 17:30 PM
Bid Submission Start Date	20-10.2023 At 17:30 PM	Bid Submission End Date	03-11-2023 At 17:30 PM
Tender purchase Place	https://mptenders.gov.in		

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-अशोकनगर(म0प्र0)

1- ई निविदा दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी निविदा एवं दर निविदा पद्धति आधारित रहेगी) निविदाकार द्वारा निम्नानुसार तकनीकी अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होंगे, किसी भी तकनीकी दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी निविदा प्रस्तुति के लिये आवश्यक है कि होटल/परिसर में निम्नानुसार व्यवस्थाएँ उपलब्ध हो :-

- मीटिंग, वर्कशॉप, प्रशिक्षण हेतु वातानुकूलित हॉल जिसमें कम से कम 30-50 प्रशिक्षणार्थी व प्रशिक्षकों के लिये आवश्यक बैठक व्यवस्था (फर्नीचर) सहित ।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक एलसीडी प्रोजेक्टर, माईक, इत्यादि के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ ।
- प्रशिक्षणार्थियों/प्रशिक्षकों/आगंतुक अधिकारियों के रुकने हेतु वातानुकूलित सिंगल/डबल वेड कक्ष की उपलब्धता अटेच लेट वाथ सहित
- चाय/नाश्ता/भोजन व्यवस्था

तकनीकी अर्हता सम्बन्धी बांछित दस्तावेज :-

- फर्म/संस्था का जीएसटीपंजीयन
- फर्म/संस्था का पेनकार्ड ।
- फर्म/संस्था का के पंजीयन संबंधी दस्तावेज होना आवश्यक है ।
- यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा होटल का कार्य किसी दूसरे के द्वारा अनुबंधित किया गया है, तो उसका बैद्य अनुबंध प्रमाण पत्र संलग्न करें अथवा होटल के मालिकाना हक के बैद्य दस्तावेज प्रस्तुत करें ।
- फर्म के पास वित्तीय वर्ष (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22, 2022-23 के लिये) का न्यूनतम राशि 10,00,000/- (रुपये दस लाख) औसत टर्नओवर होना चाहिये जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त हो एवं निविदा जारी दिनांक से वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही की जी.एस.टी रिटर्न समय पर भरने का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है ।
- फर्म के लेटर हेड पर शपथ पत्र - फर्म को किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है । फर्म /फर्म के प्रोपराईटर पर कोई आपराधिक मामला दर्ज /प्रचलित नहीं है । नो रिलेशन प्रमाण पत्र (फर्म/प्रोपाईटर का कोई सगा सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग अशोकनगर में कार्यरत नहीं है ।
- निविदा प्रस्तुति हेतु धरोहर राशि रुपये 10000/- ई भुगतान रसीद की छाया प्रति ।
- एनेक्जर एक
- एफएसओएसओआईओ प्रमाण पत्र
- तकनीकी निविदा फार्म (Technical Tender form Annexure 2)

दर निविदा (BOQ Bill of Quantity)-

कार्य सम्बन्धी विवरण दर निविदा में प्रदर्शित है जिसमें निविदाकार द्वारा दर प्रस्तुत की जाना है प्रस्तुत दरों पर जीएसटी अतिरिक्त होगा ।

भुगतान :-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

प्रशिक्षण /कार्यक्रम/ गेस्ट के ठहरने के उपरांत 07 दिवस में सम्बन्धित फर्म द्वारा देयक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी जिसके द्वारा होटल सुविधाओं का उपयोग किया गया है उसका पूर्ण नाम, पद नाम एवं ठहरने के सम्पूर्ण विवरण एवं देयक पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षरकर्ता के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिसका सत्यापन प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाकर, 15 से 30 दिवस की अवधि में शासन के नियमानुसार निर्धारित कटोत्रें उपरांत भुगतान किया जायेगा, अनुमोदित दर पर जी0एस0टी0अतिरिक्त रहेगा ।

निविदा स्वीकृति, दर अनुमोदन एवं अनुबंध :-

सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी, निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने के सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का है, जो सभी निविदाकारों को मान्य होगा, निविदा प्रक्रिया किसी भी समय निरस्त करने के सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है ।

प्रस्तुत निविदा अनुसार सर्व प्रथम तकनीकी निविदा अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा, तकनीकी निविदा अनुसार पात्र फर्मों की दर निविदा खोली जायेगी, जिसमें न्यूनतम दरों को अनुमोदित किया जायेगा, न्यूनतम दर वाली फर्म को अनुमोदित दर से अवगत कराते हुये कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा ।

अनुमोदित दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा निविदाकार अनुमोदित दर अनुसार कार्य करने हेतु वाध्य होगा, निविदाकार द्वारा भी दर वृद्धि की मांग नहीं की जा सकेगी ।

निविदा स्वीकृति दिनांक से 02 वर्ष या निविदा नवीन निविदा प्रक्रिया जो भी पहले हो तक निविदा मान्य होगी, इसके उपरांत पारस्परिक सहमति से इसे एक वर्ष की अवधि तक और बढ़ाया जा सकेगा ।

कार्य आदेश एवं कार्य :-

दर अनुमोदन उपरांत यथा संभव एक दिवस पूर्व होटल रूम के आरक्षण हेतु कार्यालय द्वारा सूचित किया जायेगा, किंतु आकस्मिकता में कार्यालयीन निर्देशानुसार तत्काल सूचना उपरांत भी कक्ष उपलब्ध कराया जाना होगा, जबकि प्रशिक्षण के संदर्भ में यह अवधि तीन दिवस होगी, सूचना उपरांत व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व होटल संचालक का होगा ।

विभाग के वरिष्ठ अधिकारी/आंगतुक की सूचना दिये जाने के उपरांत कक्ष आरक्षित किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित होटल संचालक का होगा, यदि आकस्मिकता में उनके यहां कक्ष उपलब्ध नहीं है तो समकक्ष होटल में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कक्ष उपलब्ध कराया जाना होगा ।

यदि अनुमोदित निविदाकार द्वारा कार्यालय सूचना/आदेश अनुसार, कक्ष /प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधायें समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो धरोहर राशि राजसात करते हुये आगामी निविदा के लिये ब्लेक लिस्ट कर दिया जायेगा ।

होटल के अतिरिक्त कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित होने की स्थिति में चाय, नाश्ता व भोजन पैकेट उपलब्धता की जाना है, इस हेतु दर निविदा में दर चाही गई है तदनुसार कार्य आदेश/मीनू अनुसार ताजा व शुद्ध नाश्ता, भोजन पैकेट प्रशिक्षण स्थल पर प्रदाय करना होगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा सूचना /कार्य आदेश जारी प्रशिक्षण पूर्व प्रतिभागियों की निर्धारित संख्या व प्रदाय समय सहित सूचित की

जायेगी होटल मे प्रशिक्षण होने की स्थिति मे निर्देशानुसार भोजन/नाश्ता निर्देशित समयानुसार प्रशिक्षण स्थल पर प्रदाय करना होगा तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सतत उपलब्ध कराई जाना होगी ।

निविदाकार जो होटल संचालन नहीं करते है ,किंतु वैधानिक रूप से भोजन विक्रेता है उनके द्वारा भोजन पैकेट/नाश्ते की दर प्रस्तुत की जा सकती है ,जो अनुबंधित होटल के अतिरिक्त अन्य स्तर पर होने वाले प्रशिक्षणों के लिये ही लागू होगी ।

सुरक्षानिधि:-

निविदाकार जिनकी दरें अनुमोदित होती है उन्हें अनुबंध के साथ-साथ सचिव जिला स्वास्थ्य समिति अशोकनगर के नाम रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) की सुरक्षा निधि (एफ0डी0आर0) अनुबंध अवधि के लिये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ,जिसे अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत लौटा दिया जायेगा ।

निरस्तीकरण:-

अनुबंध निम्नानुसार परिस्थियों मे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा एक पक्षीय रूप से निरस्त किया जा सकेगा , किंतु होटल संचालक को इस बावत 03 माह पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा ।

- अनुबंध शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर
- कार्यालय द्वारा होटल मे रूकवाये गये अधिकारियों /प्रशिक्षणार्थियों/प्रशिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट फीड बैक न होने या व्यवस्थाओं मे कमी बावत प्रमाणित शिकायत आधार पर
- होटल प्रबंधन /स्टाफ के द्वारा अभद्रता या सेवा मे कमी होने की स्थिति मे
- उक्त परिस्थितियों मे अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा कि फर्म को सुरक्षा निधि राजसात एवं विभागीय निविदा मे भाग लेने हेतु प्रतिबंधित करने/ब्लेक लिस्टेड की कार्यवाही कर सकेगा ।

विविध :-

- आयोजित प्रशिक्षणों /आंगतुकों के लिये ,निविदा स्वीकृत होने के उपरांत कार्यालयीन आदेशानुसार दिवसों के लिये हॉल /रूम आवश्यक सुविधाओं के साथ स्वच्छ रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा ।
- प्रशिक्षण के लिये उपलब्ध कराये गये हॉल मे अन्य किसी भी प्रकार की होटल की गतिविधि मान्य नहीं होगी, प्रशिक्षणार्थियों की बैठक व्यवस्था/एल0सी0डी0प्रोजेक्टर/माईक व्यवस्था आदि की व्यवस्था अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण के एक दिवस पूर्व व्यवस्थित कराई जाना होगी जिसमे होटल के स्टाफ को सेवायें देना होगा ।
- होटल स्टाफ /मेनेजमेंट का व्यवहार मृदु होना अनिवार्य होगा ।
- साफ-सफाई व्यवस्था उच्च कोटि की हो ।
- शुद्ध व शीतल पेयजल की उपलब्धता प्रशिक्षण के दौरान सतत ,उपलब्ध हो ।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अधिकारी के निर्देशानुसार व्यवस्थायें यथा संभव उपलब्ध करायी जाना होगी ।

- तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज फर्म की मुहर व हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य है अन्यथा निविदा निरस्त की जा सकेगी ।
- संलग्न दस्तावेज स्पष्ट व सुपठनीय होना चाहिये, दस्तावेज अस्पष्टता की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी ।
- निविदा उपरांत कार्य कराने की बाध्यता नहीं है ,कार्य आवश्यकता अनुसार अथवा शासनादेश अनुसार ही कराया जावेगा ।
- निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति सम्बन्धी समस्त अधिकार अधोहस्ताकर्ता के रहेंगे ।
- निविदा हेतु किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाना है अर्थात् सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑन लाईन रहेगी ,जिसमें प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही निविदा की कार्यवाही की जायेगी
- निविदा आवेदन अहस्तान्तरणीय होगा एवं निविदा आवेदन का मूल्य वापिसी योग्य नहीं होगा ।
- फर्म द्वारा निविदा के साथ संलग्न दस्तावेज गलत/फर्जी पाये जाने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।
- कार्यालय द्वारा अनुमोदित निविदा अन्य संस्थानों/कार्यालयों के लिये उपयोग में लिया जाना वर्जित होगा ऐसा पाये जाने की स्थिति में अनुबंध समाप्ति के साथ साथ धरोहर राशि राजसात करते हुये ,विभागीय निविदा से फर्म को ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा
- उक्त ई-निविदा उल्लेखित शर्तों के आधार पर अशोकनगर शहर के ही स्थानीय होटल संचालकों एवं वैधानिक रूप से भोजन विक्रेताओं के लिये ही मान्य की जावेगी ।

न्याय क्षेत्र:-

- किसी प्रकार के विवाद के निपटारे के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय सभी पक्षों के लिये मान्य रहेगा ।
- निविदा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिये न्याय क्षेत्र अशोकनगर होगा ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-अशोकनगर(M0प्र0)

एनेक्जर 01

फर्म का नाम

प्रोपराईटर का नाम

प्रोपराईटर का मोवाईल नम्बर

फर्म का लेण्डलाईन नम्बर.....

फर्म का पूर्ण पता

ई मेल आईडी.....

जी०एस०टी०नम्बर.....

Permanent Account Number (PAN).....

फर्म की बैंक डिटेल:-

बैंक खाता क्रमांक.....

आई०एफ०एस० सी०कोड.....

बैंक का नाम

शाखा.....

हस्ताक्षर एवं मुहर प्रोपराईटर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

6

Check list Annexure-02

क	विवरण	पेज नम्बरसेतक ..
1	फर्म/संस्था का जी0एस0टी0पंजीयन	
2	फर्म/संस्था का पेनकार्ड	
3	फर्म/संस्था के पंजीयन संबंधी दस्तावेज	
4	यदि किसी व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा होटल का कार्य किसी दूसरे के द्वारा अनुबंधित किया गया है, तो उसका बैद्य अनुबंध प्रमाण पत्र अथवा होटल के मालिकाना हक के वैद्य दस्तावेज।	
5	फर्म के पास वित्तीय वर्ष (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22, 2022-23 के लिये) का न्यूनतम राशि 10,00,000/- (रुपये दस लाख) औसत टर्नओवर, जो चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त हो एवं निविदा जारी दिनांक से वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही की जी.एस.टी रिटर्न समय पर भरने का प्रमाणीकरण।	
6	फर्म के लेटर हेड पर शपथ पत्र -फर्म को किसी भी शासकीय/अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लोक लिस्टेड नहीं किया गया है। फर्म /फर्म के प्रोपराईटर पर कोई आपराधिक मामला दर्ज /प्रचलित नहीं है।	
7	नो रिलेशन प्रमाण पत्र (फर्म/प्रोपाईटर का कोई सगा सम्बन्धी स्वास्थ्य विभाग अशोकनगर मे कार्यरत नहीं है ।	
8	निविदा प्रस्तुति हेतु धरोहर राशि रुपये 10000/- ई भुगतान रसीद की छाया प्रति ।	
9	FSSAI Certificate	
10	एनेक्जर एक	
11	एनेक्जर दो	

हस्ताक्षर एवं मुहर प्रोपराईटर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)